संख्या–791/सत्तर–4–2014

प्रेषक,

अरविन्द नारायण मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 252 /रा०उ०शि०प०/2014
दिनांक 22.08.2014

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त नियंत्रक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 21 अगस्त, 2014

विषयः– उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की मांगो के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारी आन्दोलित है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की मांगो का शासन स्तर पर परीक्षण किया गया। इनमें से कतिपय मांगे विश्वविद्यालय स्तर पर ही निस्तारित किये जाने वाली हैं, अतः इन मांगो का परीक्षण विश्वविद्यालय स्तर पर कर लिया जाए। कुछ मांगों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों से सूचनाएं प्राप्त न हो पाने के कारण शासन स्तर पर निर्णय लेने में विलम्ब हो रहा है।

2– राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण की सुविधा के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1224/सत्तर–4–2014–46(30)/2001, दिनांक 22.08.2012 द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 21(3) एवं 21(4) में किये गये प्राविधानों से अवगत कराते हुए यह उल्लेख किया गया था कि प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्तर से अवकाश नकदीकरण की सुविधा विगत कई वर्षो से प्रदान की जा रही है जबकि उक्त सुविधा को दिये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से कोई आदेश निर्गत नही किये गये है। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 22.08.2012 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि प्रकरण में विश्वविद्यालय स्तर पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सम्बन्धित कार्मिकों से वसूली की कार्यवाही की जाय। सम्बन्धित कुलसचिव/वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी/कुलपति के विरूद्ध साक्ष्यों सहित आरोप पत्र गठित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–1224/सत्तर–4–2014–46(30)/2001, दिनांक 22.08.2012 का कियान्वयन अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

3– उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन विसंगति को दूर किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 26.09.2013 के अनुरूप संवर्गो के पुनर्गठन हेतु आपसे सूचनाएं प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु उक्त सूचना अभी तक उपलब्ध नही करायी गयी है। अतः इस सम्बन्ध में वांछित सूचना/प्रस्ताव प्रत्येक दशा में दिनांक 05.09.2014 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें एवं इस सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु दिनांक 10.09.2014 को शासन स्तर पर आहूत बैठक में समस्त संगत सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करें ताकि सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार–विमर्श कर मत स्थिर किया जा सके।

संजय/वर्मा
22/08/14

4– उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की जिन मांगो पर विचार–विमर्श कर नीतिगत निर्णय लिया जाना अपेक्षित है, उन मांगों पर तत्काल निर्णय लिया जाना सम्भव नही है।

कृपया शासन स्तर पर लिए गये उपरोक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने, उपरोक्त वस्तुस्थिति से अपने विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अवगत कराने तथा विश्वविद्यालय स्तर पर निस्तारित हो सकने वाली मांगों को दिनांक 10.09.2014 तक निस्तारित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द नारायण मिश्र)
सचिव।